(01)

—: कार्यालय कलेक्टर, जिला बेमेतरा :—

।। विज्ञापन।।

क्रमांक/2616 /वि.लि.प्र./2016 बेमेतरा, दिनांक 19/07/2016

कार्यालय संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण नया रायपुर का पत्र क्र./2995/स्था./सं./1(2)/2016 रायपुर दिनांक 08.06.2016 के पत्र अनुसार :-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग रायपुर द्वारा दी गई अनुमति अनुसार जिला खाद्य अधिकारी बेमेतरा के कार्यालय के लिये निम्न आरक्षण, शर्तो एवं प्रक्रिया के अधीन पदों की भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता हैं।

आनलाईन आवेदन दिनांक 21—07—2016 से 06—08—2016 तक किया जावेगा। आनलाईन आवेदन हेतु वेबसाइट **Jobs.Cgbemetara.com** है।

टीप :— निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मार्कशीट की स्केनिंग कर आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य हैं।

क्र.	पद का नाम	कुल पद	अनु. जनजाति				अनु. जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक
01	डाटा एन्ट्री अपरेटर	02	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—
02	सहायक ग्रेड 03	02	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—

नियुक्ति प्राधिकरण :— कलेक्टर जिला बेमेतरा

डाटा एण्ट्री आपरेटर कुल 02 पदो हेतु शैक्षणिक येाग्यता/वेतनमान/तकनीकी अर्हताएं

1— सेवा श्रेणी :— तृतीय श्रेणी

2— वेतनमान 5200—20200—ग्रेड वेतन 2400

3— (क) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण

अथवा

पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।

(ख) डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की गति 8000 की **(Key)** डिप्रेशन प्रति घण्टा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु राज्य शासन ने निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा जारी कम्प्यूटर विषय में परीक्षा उत्तीर्ण प्रामण पत्र को मान्य किया हैं :—

- मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में प्रदत्त एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इन्फोर्मेशन टेकनालॉजी/माडर्न आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)
- वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड युनिवर्सिटी/मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इन्फोर्मेशन टेकनालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पी.जी. डिप्लोमा स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि।
- DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

सहायक ग्रेड 03 कुल 02 पदो हेतु शैक्षणिक योग्यता/वेतनमान/तकनीकी अर्हताएं

1- सेवा श्रेणी :- तृतीय श्रेणी

2 वेतनमान 5200--20200--ग्रेड वेतन 1900

3- (क) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण

अथवा

पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थ से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु राज्य शासन ने निंम्नलिखित संस्थाओं द्वारा जारी कम्प्यूटर विषय में परीक्षा उत्तीर्ण प्रामण पत्र को मान्य किया हैं :-

- मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में प्रदत्त एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इन्फोर्मेशन टेकनालॉजी/माडर्न आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)
- वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड युनिवर्सिटी/मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इन्फोर्मेशन टेकनालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पी.जी. डिप्लोमा स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि।
- DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

निर्धारित आयु सीमा :-

उपरोक्त सभी सवर्गीय पदो के लिये उम्मीदवार की आयु दिनांक 01-07-2016 को 18 वर्ष से कम नहीं हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के पत्र क्र./एफ3-2/2015/3/एक दिनांक 17.12.2015 द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2016 हेतु दी गई 5 वर्ष की छूट को मिलाकर अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु की सीमा में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छुट की पात्रता होगी :-

01. यदि उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी हैं तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

02. ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जावेगी परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

03. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।

04. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

05. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

06. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर ग्रीन कार्ड धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदक) को उच्चतर आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट होगी।

07. राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय, गुण्डाधुर सम्मान महराजा प्रवीरचंद्र सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

08. विकलांग आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जावेगी। बशर्ते विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

09. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छ.ग. राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

10. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–3–2/2002/1–3 दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छुट दी जावेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छुट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप :–

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–3–2/2002/1–3 दिनांक 15.06.2010 के द्वारा जारी किये गये निर्देश के पैरा (3) के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयुसीमा 35 वर्ष होगी छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के पत्र क्र./एफ3–2/2015/3/एक दिनांक 17.12.2015 द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2016 हेतु दी गई 5 वर्ष की छुट को मिलाकर अधिक्तम आयु 40 वर्ष होगी। परन्तु उक्त परिपत्र के पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे छ.ग. के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य

छूट दी गयी हैं वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

01. आयु की गणना दिनांक 01 07 2016 के संदर्भ में की जावेगी।
02. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं।
03. विभिन्न पदों हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
04. आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
05. आवेदन पत्र पर नियत स्थान पर नाम व दिनांक युक्त पासपोर्ट साईज की फोटो अपलोड करना होगा तथा आवेदक अपना हस्ताक्षर पृथक से स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
06. विज्ञप्ति दिनांक से पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन जमा नहीं किया जा सकता।
07. आनलाईन आवेदन करने के लिए **Jobs.cgbemetara.com** के वेबसाइट में जाकर पदों का चयन कर वेब पेज पर प्रदर्शित आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर समिट करें। भरें हुए आवेदन का एप्लीकेशन आई.डी. के साथ प्रिण्ट ले लेंवे।
08. आवेदन करने हेतु वेबसाइट **Jobs.cgbemetara.com** पर दिनांक 21-07-2016 से दिनांक 06-08-2016 तक समय 5.30 बजे सायंकाल तक खुली रहेगी।
09. उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या में वर्गवार कमी अथवा वृद्धि परिस्थिति के अनुसार की जा सकेगी।
10. आवेदक विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदन करें। प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया हैं तथा चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर बिना कोई पूर्व सूचना दिये उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत होने पर उन्हे नियोक्ता से अनापत्ति प्रामण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. स्वीकृत पदों में 30 प्रतिशत महिलाओं, 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों हेतु हॉरिजेंटिल आरक्षण दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में सीधी भर्ती के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ शासन द्वारा दिये गये निर्देश एवं शर्ते लागू होगी।
13. किसी भी संवर्ग के महिला अभ्यर्थी न होने की दशा में उसी प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से पद की पूर्ति की जावेगी।
14. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में अलग से कोई सूचना नही दी जावेगी।
15. निर्धारित कौशल परीक्षा के समय/चयन पश्चात आवेदक को सक्षम अधिकारी/उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं आवेदक द्वारा दी गई जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16. संख्या में अर्हताधारी अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार प्रायोगिक (दक्षता / कौशल) परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सूचना दी जावेगी। इस संबंध में की गई यात्रा हेतु यात्रा भत्ता देय नही होगा।
17. डाटा एण्ट्री आपरेटर हेतु हिन्दी / अंग्रेजी दोनों माध्यम से परीक्षा ली जावेगी। सहायक ग्रेड 03 पद हेतु हिन्दी माध्यम से परीक्षा ली जावेगी।
18. चयन प्रक्रिया के दरम्यान तथा चयन के उपरान्त अभ्यर्थी के द्वारा दी गई कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तब उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी तथा यदि नियुक्ति हो गई हो तो वह भी निरस्त कर दी जाएगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
19. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिविक्षा अवधि पर रखा जाएगा।
20. भर्ती नियम के अनुसार किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी अर्थात कलेक्टर बेमेतरा (छ.ग.) को होगा।
21. मेरिट लिस्ट एवं चयन सूची कलेक्टर कार्यालय सूचना पटल पर देखी जा सकती हैं।

नियुक्ति के लिए अपात्रता :–

- कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति का पात्र नही होगा।
- कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला उम्मीद्वार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नंही होगा / नही होगी।
- किसी उम्मीद्वार की सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नही किया जाएगा जब तक उसे ऐसे स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए।
- कोई भी उम्मीद्वार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नही होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसा कि आवश्यकता समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नही है।
- कोई भी उम्मीद्वार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। परन्तु जहॉ तक किसी उम्मीद्वार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने पर लंबित रखा जाए।
- कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

(06)

चयन प्रक्रिया :—

डाटा एण्ट्री आपरेटर एवं सहायक ग्रेड 03 के पदो के लिये उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के जांच के पश्चात अर्हताधारी उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांको के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार कर आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के श्रेणीवार 10 गुणा उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर दस्तावेजों के सत्यापन/जांच हेतु आमंत्रित किया जावेगा। दस्तावेजों का सत्यापन पश्चात् पात्र उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर कम्प्यूटर संबंधी दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। कुल 100 अंक में से 70 अंक शैक्षिक योग्यता तथा 30 अंक दक्षता/ कौशल परीक्षा के लिये निर्धारित किया गया हैं। दक्षता/कौशल परीक्षा में 10 अंक पाना अनिवार्य होगा। दक्षता/कौशल परीक्षा में 10 अंक से कम पाने वाले उम्मीदवार अपात्र माने जायेगे। यदि दों अभ्यर्थी का अंक समान हो तब कौशल परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। यदि शैक्षणिक योग्यता का अंक तथा कौशल परीक्षा का अंक समान हो तो उस स्थिति में जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक तथा दक्षता/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को जोड़कर वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी उसी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर बेमेतरा को होगा।

R. Sh...19/7

कलेक्टर
जिला—बेमेतरा

पृ.क्रमांक/2616/वि.लि.प्र./2016 बेमेतरा, दिनांक 19/07/2016

प्रतिलिपि :—

1. संबंधित अधिकारी (चयन समिति) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. संचालक जनसंपर्क संचालनालय महानदी भवन नया रायपुर को सूचनार्थ एवं कृपया संलग्न विज्ञापन का प्रकाशन सर्वाधिक प्रसारित दो समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।

R. Sh...19/7

कलेक्टर
जिला बेमेतरा